

# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय सांगानेर

मंगल राग

बनाम पुनः-नाशिका

संख्या/वर्ष 204/12

/ 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/5/22	<p>पत्रावली पेशकरी का निवृत्ता उम्पपद) उपस्थित वकील लवादी ने प्रस्तुत की 20/1/22 को जिसमें कुछ त्रुटि शामिल पत्रावली निम्नलिखित पत्रावली वास्तु में डेटा 12/3/6/2022 को पेशकरी</p> <p style="text-align: center;">(V) V</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</b></p>	<p>जोमान 2022 3/5/22</p>
19/6/22	<p>पत्रावली पेशकरी वकील उम्पपद उपस्थित पक्ष उम्पपद गुर्वजात रिपोर्ट 2019 वकील का वकील सुसावित्री कुर्वजात रिपोर्ट उम्पपद डी.डी. किया जाता है विस्तृत निम्नलिखित पत्रावली वास्तु में शामिल पत्रावली निम्नलिखित पत्रावली वास्तु में डेटा 12/3/6/2022 को पेशकरी</p> <p style="text-align: center;">(V) V</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</b></p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

दीवसीन अधिकारी का नाम : हिमन्त सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 204/2012

निर्णय दिनांक : 19.06.2024

संशोधित उनवान


1. मंगलराम पुत्र भंवरिया
  2. रामप्रसाद पुत्र श्री भंवरिया
  3. कमला बेवा भंवरिया
- समस्त जातियान बागडा ब्राहमण  
निवासीयान ग्राम लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

वादीगण

वनाम

1. प्रभुनारायण पुत्र श्रीया जाति बगदा ब्राह्मण (मृत्यु काल का दावा)
- 1/1 गोपाल पुत्र स्व० प्रभुनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम ललना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
- 1/2 मन्नी देवी पत्नी स्व० प्रभुनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम लाखना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
- 1/3 सीतादेवी पत्नी रामजीलाल पुत्री स्व० श्री प्रभुनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम नरपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर
- 1/4 गंगा देवी पत्नी पूरणमल शर्मा पुत्री स्व० श्री प्रभुनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम नरपुरा तहसील चाकसू, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)
- 1/4/1 रामचरण शर्मा पुत्र श्री पूरणमल शर्मा
- 1/4/2 दिनेश शर्मा पुत्र पूरण मल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम नरपुरा तहसील चाकजू, जिला जयपुर।
- 1/5 जमना देवी पत्नी श्री राधेश्याम पुत्री स्व० श्री प्रभुनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम नरपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर
- 1/6 धापू देवी पत्नी श्रवण लाल पुत्री स्व० श्री प्रभुनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
2. पोखर पुत्र धन्ना जाति बागडा ब्राह्मण.
3. प्रकाश चन्द पुत्र धन्ना जाति बागडा ब्राह्मण
4. रोशन दत्तक पुत्र रामेश्वर जाति बागडा ब्राह्मण
5. बाबूलाल पुत्र हरिनारायण जाति बागडा ब्राह्मण
6. लालचन्द पुत्र हरिनारायण जाति बागडा ब्राह्मण
7. छोटी बेवा हरिनारायण जाति बागडा ब्राह्मण निवासीगण ग्राम लाखना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
8. रमा गुप्ता पत्नि श्री सुरेश गुप्ता जाति महाजन निवासी कार्यालय ट्रक युनियन करौली (राज०)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
10. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार
11. श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री भगवान सहाय समस्त जातियान महाजन निवासीयान् मकान नम्बर 16, महावीर नगर बी, स्टेशन रोड, सांगानेर, जयपुर

प्रतिवादीगण

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)


वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53ए व 188 रा. का. अधि. 1955

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 16.06.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वादग्रस्त भूमि का वाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स के आधार पर पक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भु0अ0/कुर्रैजात/2022/8061 दिनांक 19.09.2019 के संलग्न कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

वाद में उपस्थित अधिवक्तागण की बहस अंतिम कुर्रैजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की ओर से कुर्रैजात रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज की कि प्रार्थी को प्रतिवादी संख्या 10 व 11 प्रतिवादी के रूम में बना दिया गया परन्तु तहसीलदार सांगानेर के द्वारा प्रस्तुत कुर्रैजात रिपोर्ट में न तो प्रतिवादीगण का नाम है और न ही कोई हिस्सा दर्शाया गया है। जिससे प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि जिसको प्रतिवादीगण ने जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था। उसका हिस्सा ही नहीं रहा।

हमने बहस उपस्थित अधिवक्तागण पर मनन किया एवं पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 209 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237/717 रकबा 0.02 हैक्टेयर,

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हैक्टियर कुल किता 12 कुल रकबा 3.07 हैक्टियर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

खातेदार का नाम जमाबंदी अनुसार	राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज				
	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
कमला पत्नी स्व० भंवरिया हिस्सा 5/36 जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार		149	0.34	चाही 2/0.20 जाव 2/0.14	5.10 1.75
छोटा पत्नी स्व० हरिनारायण हिस्सा 1/90 जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार		208	0.63	चाही 2/0.52 जाव 2/0.11	13.26 1.38
प्रकाशचन्द पुत्र धन्ना हिस्सा 1/30 जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार		209	0.22	चाही 2/0.20 जाव 2/0.02	5.10 0.25
धूमनारायण पुत्र श्रीया हिस्सा 5/12 जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार		210	0.22	चाही 2/0.15 जाव 2/0.07	3.83 0.88
पोखर पुत्र धन्ना हिस्सा 1/30 जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार		219	0.36	चाही 1/0.33 जाव 1/0.03	10.56 0.48
बाबूलाल पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/90 जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार		226	0.28	चाही 2/0.24 जाव 2/0.04	6.12 0.50
मंगलराम प्रत्र भंवरिया हिस्सा 5/36 जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार		227	0.03	गै०मु०चाह	0.03
रमगुप्ता पत्नी सुरेश गुप्ता हिस्सा 1/30 जाति महाजन ट्रक यूनियन करोली, खातेदारी		237 / 717	0.02	बारानी ए	0.22
रोशन दत्तक पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/30 जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार		238	0.23	बारानी ए	2.33
लालचन्द पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/9 जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार		239	0.10	बारानी ए	1.10
		242	0.30	बारानी ए	3.30
		279	0.34	बारानी 1	2.55

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज						
क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगा न	रंग
1.		कमला पत्नी स्व० भंवरिया हिस्सा 1/3(फौत) जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	219 मि. 149 मि. 208 मि.	0.15 0.17 0.18		
		मंगलराम प्रत्र भंवरिया हिस्सा 1/3 जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	209 210	0.22 0.22		
		रामप्रसाद पुत्र भंवरिया हिस्सा 1/3 जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	226 मि. 227 279 मि.	0.14 0.03 0.17		
		कुल किता	8	1.28		

उपस्थित अधिकारी  
(सांगानेर)

प्रभूनारायण पुत्र श्रीया हिस्सा पूर्ण जाति	219 मि.	0.15		
बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	149 मि.	0.17		
(फौत)	226 मि.	0.14		
वारिसान- 1. मन्नू देवी पत्नी	237 / 717	0.02		
प्रभानारायण (दौराने वाद फौत)	238	0.23		
2. गोपाल पुत्र प्रभानारायण (दौराने वाद	239	0.10		
फौत)	242	0.30		
3. सीता पुत्री प्रभानारायण (दौराने वाद	279 मि.	0.17		
फौत)				
4. जमना पुत्री प्रभानारायण (दौराने				
वाद फौत)				
5. धापु पुत्री प्रभानारायण (दौराने वाद				
फौत)				
6. गंगा (फौत) पुत्री प्रभानारायण				
(दौराने वाद फौत)				
गंगा (फौत) पुत्रान् दिनेश, श्रवण				
कुल किता 8	1.28			
छोटा पत्नी स्व. हरिनारायण हिस्सा	219 मि.	0.06		
341/5100, जाति बागडा ब्राह्मण सा०	208 मि.	0.45		
देह, बाबूलाल पुत्र हरिनारायण हिस्सा				
341/5700 जाति बागडा ब्राह्मण सा०				
देह, लालचन्द पुत्र हरिनारायण हिस्सा				
341/5100, जाति बागडा ब्राह्मण सा०				
देह,				
प्रकाशचन्द पुत्र धन्ना हिस्सा 1359/6800				
जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार				
पोखर पुत्र धन्ना हिस्सा 1359/6800				
जाति बागडा ब्राह्मण सा० देह खातेदार				
रोशन दत्तक पुत्र रामेश्वर हिस्सा				
1359/6800 जाति बागडा ब्राह्मण सा०				
देह खातेदार				
रमगुप्ता पत्नी सुरेश गुप्ता हिस्सा				
1359/6800 जाति महाजन ट्रक यूनियन,				
करोली खातेदार				
कुल किता	2	0.51		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को प्रतिवादी संख्या 6, 7 के हिस्सा 1/30 मे 2/3 के सह खातेदार बनाते हुये उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),  
जयपुर